

पत्रांक-6/ब0गै0यो0-01-73/2015गृ0आ0..... पटना, दिनांक

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं हक0),
बिहार, पटना।

द्वारा :- वित्त विभाग।

विषय :- वित्तीय वर्ष 2015-16 में गैर-योजना के मांग संख्या-22, मुख्य शीर्ष 2055-पुलिस, उप मुख्यशीर्ष-00, लघु शीर्ष 109-जिला पुलिस, उपशीर्ष 0001-जिला कार्यकारी दल, विषय शीर्ष 01 01-वेतन, 01 03-जीवन यापन भत्ता एवं 01 07-अन्य भत्ता तथा विपत्र कोड N2055001090001 के अंतर्गत संभावित बचत राशि में से इसी मुख्य शीर्ष के उप मुख्यशीर्ष 00, लघु शीर्ष 104-विशेष पुलिस, उपशीर्ष 0003-विशेष टास्क फोर्स, विषय शीर्ष 01 01-वेतन, 01 03-जीवन यापन भत्ता एवं 01 07-अन्य भत्ता तथा विपत्र कोड N2055001040003 के अंतर्गत क्रमशः ₹ 1,11,00,000, ₹ 1,25,00,000 एवं ₹ 1,42,00,000 यानि कुल ₹ 3,78,00,000 (तीन करोड़ अठहत्तर लाख रू0) मात्र के पुनर्विनियोग की स्वीकृति।

आदेश :- बिहार वित्तीय नियमावली के नियम-489 के अधीन पुनर्विनियोग स्वीकृत।

अनु0 :- अनुसूची।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(आमिर सुबहानी)

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञाप सं0-6/ब0गै0यो0-01-73/2015 गृ0आ0.....²²¹³.....पटना, दिनांक 17/3/16

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/
वित्त विभाग (बजट शाखा-5), पटना/पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/पुलिस महानिरीक्षक
(बजट, अपील एवं कल्याण), बिहार, पटना/आर्0टी0 प्रबंधक, गृह विभाग, बिहार, पटना को
सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।



16.3.16

सरकार के प्रधान सचिव